भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1987

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर लाभार्थी

1987. कुमारी सुधा आर.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के संबंध में आंकड़ों की सटीकता/नियमित रुप से अद्यतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय तक कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट आउटरीच कार्यनीतियों और गैर-सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) ट्रांसजेंडर रोगियों के लिए सम्मानजनक और सक्षम देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदाताओं के लिए चल रहे प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए उनके अनुभवों पर प्रतिक्रिया देने और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनकी स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट देने और राज्य में उक्त कार्यक्रम में सुधार करने के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): तमिलनाडु के समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा पंजीकृत और विधिवत रुप से अधिकृत ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) तमिलनाडु सरकार की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना और एबी-पीएमजेएवाई योजना की एकीकृत योजना के लिए पात्र हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड और आय प्रमाण-पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। इस

उपाय का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद ट्रांसजेंडरों को शामिल करना है, जिसमें आधार एकमात्र आवश्यक दस्तावेज है, ताकि दोहरे नामांकन को रोका जा सके।

(ख) और (ग): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से तथा विभिन्न हितधारकों के सहयोग से वित्त वर्ष 2023-2024 में हितधारकों के क्षमता निर्माण तथा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और तमिलनाडु राज्य के नियमों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ग्यारह (11) कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे लगभग 330 प्रतिभागियों को लाभ हुआ है। चेन्नई में राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (आरजीजीजीएच) तथा मदुरै में राजाजी अस्पताल में मल्टीस्पेशलिटी ट्रांसजेंडर क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इन पहलों के बारे में आईईसी सामग्री अस्पताल परिसरों में प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने तथा नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित शिविर आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और नियम, 2020 के बारे में जागरूकता और संवेदीकरण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) पर एक दिवसीय, दो दिवसीय और तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 23 कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। व्यापक पहुंच के लिए एनआईएसडी इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु देश भर के विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग करता है।

(घ): लाभार्थी, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, निम्नलिखित माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं:

- सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में टोल-फ्री संख्या (1800 425 3993) प्रदर्शित किया गया है।
- टोल-फ्री सं104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन।
- जिला शिकायत निवारण समिति से संपर्क करें।
- राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, तमिलनाडु से सीधे संपर्क करें।

*****